आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Labour Department, Government of Madhya Pradesh (Madhya Pradesh Labour Welfare Board, Shram Kalyan Mandal)

Anugrah Sahayata Yojana (Shram Kalyan Mandal)

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष के विवेकाधीन कोटे से उस श्रमिक को अनुग्रह राशि दे सकता है, जिसे किसी खर्च के लिए तुरंत पैसों की जरूरत हो।

क्या मिल सकता है

5,000 से 25,000 रुपये तक की अनुग्रह राशि, जो आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद मंडल के अध्यक्ष अपने विवेक से हर मामले में तय करते हैं।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में बताए गए मध्य प्रदेश के कारखानों और संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक, जिन्हें तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत हो।

मुख्य शर्तें

- आप मध्य प्रदेश के ऐसे कारखाने या संस्थान में काम करते हों जो मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के दायरे में आता है।
- मामला ऐसा हो जिसमें किसी खर्च के लिए आर्थिक सहायता बहुत जरूरी हो।
- राशि अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही मिलती है और यह उनके विवेक पर है, इसलिए मंजूरी अपने आप नहीं मिलती।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन भरें और मांगे गए सहायक कागजात साथ लगाएं।
2. इसे मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी के पास जमा करें, जैसे कल्याण अधिकारी या कल्याण निरीक्षक, जो संपर्क के रूप में बताए गए हैं।
3. अध्यक्ष मामले पर विचार करते हैं और उनकी मंजूरी के बाद ही राशि दी जाती है।
4. आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=0&Schemeid=903
आधिकारिक आवेदन: https://mpedistrict.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-shram-kalyan-anugrah-sahayata/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।